

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 ()92/ट्रे.ग.च./गोप्र/प्रमुवस/पार्ट-II/5661-5680/दिनांक 14-8-2018

निमित्त

समस्त मुख्य वन संरक्षक,

विषय - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं ट्रेक्टर गार्ड को चालक के पद पर पदोन्नति बाबत।

प्रसंग - इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 15 ()92/गोप्र/प्रमुवस/पार्ट II/4808-4918/सी दिनांक 20.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के सम्बन्ध में निवेदन है कि चालक के पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित किए जाने हेतु पात्र ट्रेक्टर गार्ड के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में वाछित सूचना एवं उनके वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक की अवधि के ए.सी.आर. शीघ्र इस कार्यालय को भिजवावें ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किया जाना संभव हो सके। साथ ही राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 की अनुसूची-II के बिन्दु संख्या 5 के बिन्दु 3 के कॉलम 6 में अंकित अनुसार विभाग को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों का पूर्ण विवरण भी प्रेषित करावें जो उक्तानुसार, पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हो। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

भवदीय

(नरेश चन्द्र शर्मा)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराज.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान जयपुर